रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-21022024-252283 CG-DL-E-21022024-252283

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 110]	नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 21, 2024/फाल्गुन 2, 1945
No. 110]	NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 21, 2024/PHALGUNA 2, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 21 फरवरी, 2024

संख्या 12/2024-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 121(अ).—वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं में नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट, उक्त तालिका के कॉलम (3) में संबंधित प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट सीमा तक संशोधन करती है. अर्थात: -

तालिका

क्र. सं.	अधिसूचना संख्या और दिनांक	संशोधन			
(1)	(2)	(3)			
1.	अधिसूचना संख्या 55/2022-सीमा	उक्त अधिसूचना में, -			
	शुल्क, दिनांक 31 अक्तूबर, 2022 को	(i) सारणी में, क्र. सं. 2क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप			
	सा.का.नि. 796(अ), दिनांक 31				

1191 GI/2024 (1)

	1							
	अक्तूबर, 2022 के तहत भारत के	किया जाएगा;						
	राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3,	(ii) अनुबंध में, शर्त संख्या 5 का लोप किया जाएगा।						
	उप खंड (i) में प्रकाशित							
2.	अधिसूचना संख्या 64/2023-सीमा	उक्त अधिसूचना में, -						
	शुल्क, दिनांक 07 दिसम्बर, 2023 को	(i) आरम्भिक पैराग्राफ में, शब्द "को जब भारत में आयात हो", के स्थान						
	सा.का.नि. 884(अ), दिनांक 07	पर, शब्द और अक्षर "और सारणी के कॉलम (4) में निर्दिष्ट शर्त के आधीन रहते हुए, को जब भारत में आयात हो" प्रतिस्तापित किया जाएगा;						
	दिसम्बर, 2023 के तहत भारत के							
	राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3,							
	उप खंड (i) में प्रकाशित	(ii) तालिका और पैराग्राफ 2 के स्थान पर निम्नलिखित तालिका						
		प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-						
		"तालिका						
		क्र.सं.	टैरिफ	वस्तुओ का	शर्त			
			मद	विवरण				
		(1)	(2)	(3)	(4)			
		1.	0713	पीली मटर	उक्त सामान के संबंध में,			
			10 10		बिल ऑफ लैडिंग 30 अप्रैल,			
					2024 को या उससे पहले			
					जारी किया गया है।"।			
			I					

2. यह अधिसूचना 22 फरवरी, 2024 को लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/161/2023-टीआरयू]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

पाद टिप्प्णी :

- प्रधान अधिसूचना संख्या 55/2022-सीमा शुल्क, दिनांक 31 अक्तूबर, 2022, को सा.का.िन. 796(अ), दिनांक 31 अक्तूबर, 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 59/2023-सीमा शुल्क, दिनांक 13 अक्तूबर, 2023, जिसे सा.का.िन. 738 (अ), दिनांक 13 अक्तूबर, 2023, के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।
- 2. प्रधान अधिसूचना संख्या 64/2023-सीमा शुल्क, दिनांक 07 दिसम्बर, 2023, को सा.का.िन. 884(अ), दिनांक 07 दिसम्बर, 2023, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi the 21st February, 2024

No. 12/2024-Customs

G.S.R. 121(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with section 124 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby amends the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table below, to the extent specified in the corresponding entries in column (3) of the said Table, namely:-

TABLE

S. No.	Notification No. and Date	Amendments					
(1)	(2)	(3)					
1.	55/2022-Customs, dated the 31 st October, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), <i>vide</i> number G.S.R. 796(E)., dated the 31 st October, 2022	In the said notification, - i. in the Table, S. No. 2A and the entries relating thereto shall be omitted; ii. in the Annexure, condition number 5 shall be omitted.					
2.	64/2023-Customs, dated the	In the said notification, (i) in the opening paragraph, for the words and figures "leviable thereon under the said section of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), namely:-", the words and figures "leviable thereon under the said section of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), subject to the condition as specified in column (4) of the said Table, namely:-" shall be substituted; (ii) for the Table and paragraph 2, the following Table shall be substituted, namely:- "Table Sl. Tariff Description Condition No. Item Of goods Condition					
		1.	(2) 0713 10 10	Yellow Peas	In respect of the said goods, the Bill of Lading is issued on or before 30 th day of April, 2024.".		

2. This notification shall come into force on the 22nd day of February, 2024.

[F. No. CBIC-190354/161/2023-TRU] AMREETA TITUS, Dy. Secy.

Note:

- The principal notification No. 55/2022-Customs, dated the 31st October, 2022, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 796(E), dated the 31st October, 2022, and was last amended *vide* notification No. 59/2023-Customs, dated the 13th October, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 738(E), dated the 13th October, 2023.
- 2. The principal notification No. 64/2023-Customs, dated the 07th December, 2023, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 884(E), dated the 07th December, 2023.